



- 7- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा औषधालय, 02- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक : 30 जून, 2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।
- संलग्न:-अलॉटमेंट आईडी:- S1801120350

भवदीय,

(गरिमा रौकली)  
संयुक्त सचिव

संख्या- 73 (1)/XXVIII-5-2018-174/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम लि०, रानीखेत, अल्मोड़ा।
- 6- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)  
अनु सचिव